राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 95/2018 **सीसीएमएस नम्बर :– 2019/01134**

1. नाथाराम पुत्र शंकर जाति अहीर निवासी रघुनाथपुर अहीरान तहसील बुहाना, झुन्झुनू राज.

...............वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र शीशराम
2. सुनील कुमार पुत्र शीशराम
3. श्रीमती रुपी पत्नी शीशराम
4. मनसाराम पुत्र श्रीसुख जाति अहीर निवासी रघुनाथपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.
5. राज. सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना

...............प्रतिवादीगण

दावा बाबत –खाता विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.06.2025

1. वाके ग्राम रघुनाथपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 31 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.24 है., खसरा नम्बर 439 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 765/14 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 778 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 840 रकबा 0.44 है., कुल किता 11 कुल रकबा 5.34 है. में खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 हिस्सा है।
2. यह कि वाके ग्राम रघुनाथपुर अहीरान स्थित भूमि कृषि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 76 के खसरा नम्बर 608 रकबा 0.38 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से [illegible] रिकॉर्ड है। वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि का [illegible] बटवारा कर रखा है तथा बाहमी बटवारे के मुताबिक [illegible] अपने हिस्से पर [illegible] काश्त है। परन्तु रिकार्ड की कृषि भूमि संयुक्त खाते [illegible] की है जिससे भूमि [illegible] बाधा उत्पन्न हो रही है वादी अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपजाऊ बनाना चाहता है। वादी ने गत 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने को

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया इसलिए वादकारण पैदा हुआ तब खाता विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ जो सावधि पेश है।

4. खाता विभाजन नही होने से कृषि सुधार ऋण लेने, संपरिवर्तन कराने में परेशानी होती है। भूमि को पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण ने पुर्व से ही अपने–अपने हिस्से भूमि को मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमि काश्त करते है। बाहमी बंटवारा कर रखा है।। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद विभाजन के लिए कोई मियाद निर्धारित नहीं है मगर फिर भी यह दावा अन्दर मियाद है। वादीगण के हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उपयाचित अनुतोष दिलाया जावे।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क) कि वाके ग्राम रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के हाल खाता संख्या 75 के खसरा नम्बर 31 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.24 है., खसरा नम्बर 439 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 765/14 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 776 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 840 रकबा 0.44 है., कुल किता 11 कुल रकबा 5.34 है. में खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 हिस्सा का बाहमी बटवारा के मुताबिक खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे।

(ख) कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य के डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम रसुलपुर अहीरान स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 76 के ख0 न0 608 रकबा 0.38 हैक्टर में वादी का 1/6 हिस्सा का खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 22.04.2016 को लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02.05.2016 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 96 दिनांक 22.03.2023 के द्वारा लिखा गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1289 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार .शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम रसुलपुर स्थित भूमि हाल खाता संख्या 97, 126 में वादी व प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खसरा नम्बर 31 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1. 24 है., खसरा नम्बर 439 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 1069/765 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 776 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 840 रकबा 0.44 है., कुल किता 11 कुल रकबा 5.34 है. व खसरा नम्बर 608 रकबा 0.38 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:20 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 65/2016 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/01134

नाथाराम **बनाम** अनिल कुमार आदि

दावा बाबत– खाता विभाजन

वादी की ओर से **श्री अशोक कुमार यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री जगदेव सिंह एडवोकेट की उपस्थिति में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती मे इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी खाता व लगान विभाजन को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के हाल खसरा नम्बर 31 रकबा 0.58 है., खसरा नम्बर 34 रकबा 0.59 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.29 है., खसरा नम्बर 115 रकबा 0.77 है., खसरा नम्बर 211 रकबा 0.65 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1. 24 है., खसरा नम्बर 439 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 720 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 1069/765 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 776 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 840 रकबा 0.44 है., कुल किता 11 कुल रकबा 5.34 है. व खसरा नम्बर 608 रकबा 0.38 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **26.06.2025** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.07.02 12:21:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना